<u>कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)</u>

जून, 2019 माह के लिए मासिक सारांश

<u>जून, 2019 माह की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार है:</u>

(क) सिंगापुर के शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में सिंगापुर के एक प्रतिनिधि मंडल ने 6-7 जून 2019 को नई दिल्ली का दौरा किया। सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने के लिए एमएसडीई द्वारा 6 जून, 2019 को मंत्री स्तर की एक बैठक आयोजित की गई थी। चूंकि सिंगापुर में कौशलीकरण शिक्षा मंत्री के कार्य क्षेत्र में आता है, अत: शिक्षा मंत्री और उसके प्रतिनिधि मंडल के दौरे का उद्देश्य भारत में कौशल ईकोसिस्टम को समझना और भारतीय कौशल हितधारकों के साथ भागीदारी करने के अवसरो की संभावना तलाश करना था।

(ख) व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण में भारत-जर्मन सहयोग पर एमएसडीई और जर्मन प्रतिनिधि मंडल के बीच एक तकनीकी बैठक 14 जून, 2019 को कौशल भवन नई दिल्ली में हुई थी।

(ग) कौशल विकास के क्षेत्र में भारत-यूके सहयोग के लिए संयुक्त संचालन समिति की पहली बैठक इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 17 जून, 2019 को हुई थी।

(घ) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले अनु.जाति/अनु.जनजाति उम्मीदवारों के लिए शुल्क को 4 जून, 2019 से समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि जन शिक्षण संस्थान स्कीम (जेएसएस) लाभार्थियों के आकलन और प्रमाणन पारदर्शी, उत्तरदायित्व, बोर्ड में समानता और जेएसएस प्रशिक्षण की साख बनाने और ऑनलाइन प्रमाणन के साथ मानकीकृत है, जेएसएस के लिए आकलन और प्रमाणन दिशा-निर्देश आधारित साक्ष्यों को एमएसडीई द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।

(च) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के लिए एक विशिष्ट स्वामित्व ब्रांडिंग टेम्पलेट, जो अपने भारतीय स्वरूप में विद्यमान है, उपलब्ध कराने के लिए जन शिक्षण संस्थान के लिए ब्रांडिंग दिशा-निर्देशों को एमएसडीई द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।

(छ) संवितरण संबद्ध संकेतक (डीएलआई)- 5 की उपलब्धियों के लिए एमएसडीई के दावों का स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईआईएम इंदौर) द्वारा सत्यापन कराया गया था और उक्त उपलब्धियों के लिए विश्व बैंक से 15,920,000/- अमरीकी डॉलर की धनराशि निर्मुक्त करने के लिए इसे आर्थिक कार्य विभाग को भी भेजा गया था।

(ज) भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) स्थापित करने के संबंध में अंतर मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक अधिकार प्राप्त समिति संबंधी उक्त समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 19 जून, 2019 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(झ) स्ट्राइव (औद्योगिक मूल्य वर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण) परियोजना के अंतर्गत 6 राज्यों (कर्नाटक, पंजाब, असम, राजस्थान, मणिपुर, मेघालय) के लिए राज्य शिक्षुता निगरानी प्रकोष्ठ (एसएएमसी) को अनुमोदित किया गया और 8 राज्यों (जहां एसएएमसी अनुमोदित किए जा चुके हैं) को 3.52 करोड़ रूपए की कुल राशि जारी की गई।

(ञ) स्ट्राइव परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए नागालैंड, पुद्दुचेरी की राज्य सरकारों और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अब तक कुल 27 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्ट्राइव के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश के 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और हरियाणा के 16 आईटीआई के लिए त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

(ट) सभी राज्यों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियों और राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के समक्ष आने वाली प्रचालनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए 11 राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग की गई।

******